(13)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 963-एक/2011 विरूद्ध आदेश दिनांक 11.05.2011 पारित द्वारा अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन प्रकरण क्रमांक 172/अपील/08-09.

---

1. मानसिंह पिता बनेसिंह
2. बलदेवसिंह पिता कालुसिंह
3. जितेन्द्र पिता अनोखीलाल भील
4. कांताबाई पति शिवनारायण
5. रामसिंह पिता छीता
6. छगनलाल पिता नग्गा नाथ
7. सुमित्राबाई पति कैलाश भील
8. प्रेमबाई पति रामचन्द्र भील
9. सिद्धू पिता जगन्नाथ भील
10. मांगीलाल पिता पुरा बागरी
11. कनीराम पिता पर्वत बलाई
12. बाबू खां पिता गूपुर खां
13. नन्दु पिता सिद्धू बागरी
14. तकेसिंह पिता सूरजसिंह
15. रतन पिता छीता बेलदार
16. प्रकाश पिता पर्वत मृत वारिस श्यामुबाई
17. कमलाबाई पति पर्वत
18. कैलाश पिता बनेसिंह भील
19. लालू पिता कालु बलाई
20. अयोध्याबाई पति देवीलाल
21. श्यामुबाई पति पीरू बलाई
22. कालुसिंह पिता मानसिंह

23.तुलसीराम पिता मांगीलाल बागरी
24.गोपाल पिता हरिसिंह
25.बालु पिता नारायण बागरी
26.अम्बाराम पिता भेरू बागरी
27.ईश्वर पिता पदम बागरी
28.नारायण पिता तोलाराम बागरी
29.मोडसिंह पिता बलदेवसिंह
30.मनोहर पिता हरिसिंह
31.पीरूलाल पिता हरिसिंह भील
32.जनाबसिंह पिता बनेसिंह भील
33.विष्णु पिता गंगाराम भील
34.नाथुसिंह पिता मेहताब भील
निवासीगण ग्राम पिपल्या नोलाय
तहसील मोमन बडोदिया जिला शाजापुर .....आवेदकगण

विरूद्ध

1. मध्यप्रदेश शासन द्वारा एस.डी.ओ. शाजापुर
2. सरपंच ग्राम पंचायत लसुडिया जगमाल जनपद पंचायत,
मोमन बडोदिया, जिला शाजापुर, म.प्र. .....अनावेदकगण

श्री अजय चतुर्वेदी, अभिभाषक, अनावेदक क्र. 1

-:: आ दे श ::

(आज दिनांक 1/8/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित दिनांक 11.05.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम पिपलिया नौलाय के देवीसिंह व अन्य ग्रामीणजनों द्वारा मुख्यमंत्री को जनदर्शन कार्यक्रम दिनांक 19.07.2008 के दौरान शुजालपुर में एवं कलेक्टर को इस आशय की शिकायत की प्रस्तुत की गई कि ग्राम पंचायत लसूल्डिया जगमाल के सरपंच/सचिव द्वारा ग्राम पिपलिया नौलाय के निवासियों को आवासीय भूखण्ड ग्रामसभा द्वारा ठहराव प्रस्ताव किया गया था, उक्त संबंध में चयनित पट्टेधारियों को पट्टे नहीं दिये गये व पट्टे के कागज में हेराफेरी कर अन्य पंचायत के लोगों को गरीबों के पट्टे बेचे जा रहे हैं। उपरोक्त शिकायती आवेदन के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी, शाजापुर द्वारा प्रकरण 01/जांच/08-09 दर्ज कर तहसीलदार, मोमन बड़ोदिया से जांच कराई गई। जांच उपरांत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 20.01.2009 को आदेश पारित कर प्रकरण में शासकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से किये गये अवैध कब्जा संहिता की धारा 248 के तहत हटाने की कार्यवाही किये जाने हेतु तहसीलदार को आदेशित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 11.05.2011 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई हैं । अत: प्रकरण का निराकरण निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों एवं अनावेदक शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों व अभिलेख के आधार पर किया जा रहा है । निगरानी मेमो में निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) अनुविभागीय अधिकारी को आदेश पारित करने से पहले पूर्व में पारित आदेश दिनांक 25.08.2006 को देखा जाना आवश्यक था। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उक्त दिनांक को आदेश पारित करते हुए प्रश्नाधीन शिकायत निराधार होना पाया जाकर शिकायत नस्तीबद्ध की गई थी। उक्त आदेश की अपील अथवा निगरानी किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं की गई। इस प्रकार से उक्त आदेश अंतिम हो चुका था व इस प्रकार से पुन: आदेश पारित करने का कोई क्षेत्राधिकार अनुविभागीय अधिकारी को नहीं था। इस कारण से अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

(2) सर्वे क्र. 333 रकबा 0.31 आरे एवं सर्वे क्रमांक 337 रकबा 1.50 आरे भूमि राजस्व रिकॉर्ड में आवास हेतु सुरक्षित रखा गया है तथा इसी भूमि पर आवासीय पट्टे दिये गये है, परन्तु उसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस भूमि पर पट्टे दिये गये हैं, उस भूमि के आवासीय क्षेत्र नहीं माने जाने में अधीनस्थ न्यायालय ने महान वैधानिक त्रुटि की है।

(3) समस्त पट्टेधारी ग्राम पिपल्या नौलाय के मूल निवासी हैं, मतदाता सूची व बी.पी.एल. सूची में नाम दर्ज हैं व कूपन जारी किये गये हैं। ऐसे ही मात्र व्यक्तियों को पट्टे दिये गये हैं, जिसे नहीं मानकर आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने महान वैधानिक त्रुटि की है।

(4) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राकृतिक नयाय के मूलभूत सिद्धांतों का भी पालन नहीं किया व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदकगण को सुनवाई का युक्तियुक्त एवं समुचित अवसर दिये बिना आदेश पारित करने में महान वैधानिक त्रुटि की है।

(5) आवेदकगण के द्वारा प्रकरण में प्रारंभिक आपत्ति भी प्रस्तुत की गई थी, परन्तु उक्त आपत्ति का निराकरण किये बिना ही अपील आदेश पारित करने में महान वैधानिक त्रुटि की गई है।

(6) जांच प्रतिवेदन में ग्रामीण आवास योजना के पट्टे की भूमि विक्रय करना बताया गया, परन्तु वह केवल कल्पना मात्र है, क्योंकि विक्रय किस व्यक्ति ने किस व्यक्ति को किया, इसका कोई प्रमाण रिकॉर्ड पर नहीं है तथा शिकायतकर्ताओं के कथन भी अंकित नहीं किये गये हैं। इस प्रकार से केवल अनुमान के आधार पर जो आदेश पारित किया है, वह विधि के मान्य सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

(7) जिन 65 व्यक्तियों को पट्टे वितरित किये गये हैं, उन सभी व्यक्तियों के पट्टे प्राप्ति रसीद ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में उपलब्ध है, परन्तु ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड की जांच किये बिना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपील आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

(8) जो शिकायत कलेक्टर को की गई थी, उस शिकायत पर किसी भी व्यक्ति के हस्ताक्षर नहीं हैं और ना ही शिकायतकर्ताओं के कथन लिए गये केवल राजनैतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर केवल राजनैतिक दवाब में आकर अवैधानिक कार्यवाही की गई, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

(9) प्रश्नाधीन व्यक्तियों को भूखण्डों का आवंटन अनुविभागीय अधिकारी से संहिता की धारा 244 के तहत भूमि का ले-आउट स्वीकृत कराये बिना वितरित किये हैं। इस बिन्दु के स्पष्टीकरण बावत् अधीनस्थ न्यायालय ने कोई ध्यान नहीं दिया है, जबकि रिकॉर्ड में यह बात स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत में विधिवत ले-आउट पास कर जरूरत मंद व्यक्तियों को पट्टे आवंटित किये हैं। इसके उपरांत भी यह निष्कर्ष निकालकर आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त करने में वैधानिक त्रुटि की है।

4/ अनावेदक क्र. 1 के विद्वान शासकीय अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विधिसंगत आदेश पारित किया गया है, जो कि स्थिर रखे जाने योग्य है। यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं, जिनमें हस्तक्षेप

का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। उनके द्वारा निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत ने अनुविभागीय अधिकारी से बिना ले-आउट स्वीकृत कराये अपात्र व्यक्तियों को पट्टे आबंटित किये गये हैं । इस सम्बन्ध में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण में जांच कराई गई है एवं विस्तृत विवेचना उपरांत स्पष्ट निष्कर्ष निकालते हुए विधिसंगत आदेश पारित कर ग्राम पंचायत द्वारा अवैधानिक रूप से आबंटित पट्टे निरस्त किये गये हैं, जिसमें को त्रुटि नहीं है । अपर आयुक्त द्वारा भी अनुविभागीय अधिकारी के विधिसंगत आदेश की पुष्टि की गई है । इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं । इस संबंध में 1982 आर.एन. 36 रामाधार विरूद्ध आनन्द स्वरूप तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

> "धारा 50-समवर्ती निष्कर्ष-अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में कोई अवैधानिकता या अनियमितता नहीं-पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए ।"

उपरोक्त विश्लेषण एवं प्रतिपादित न्याय दृष्टान्त के प्रकाश में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य हैं ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.05.2011 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर